

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

पञ्जाबी बनावत वगैर
 3/1/1968 आधिकारी पञ्जाब/लखनगर

केस संख्या

104/2023

न्यायालय

धना पत्र संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/11/22	<p>पञ्जाबी पेशा डी। वकील उमर पक्ष द्वारा पञ्जाबी पेशा डी। वकील उमर पक्ष द्वारा पञ्जाबी पेशा डी। वकील उमर पक्ष द्वारा 03/12/22</p>
	03/12/22	<p>पञ्जाबी पेशा डी। वकील उमर पक्ष द्वारा पञ्जाबी पेशा डी। वकील उमर पक्ष द्वारा पञ्जाबी पेशा डी। वकील उमर पक्ष द्वारा 05/12/22</p>
	05/12/22	<p>पञ्जाबी पेशा डी। वकील उमर पक्ष उमर पक्ष पञ्जाबी का अदालत कर किया गया। पञ्जाबी के संबंधित मूल वाद के आदेश (व्यक्ति द्वारा) कर निर्दिष्ट किया जा चुका है। अतः अब इस विषय में पक्ष को आदेश चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः इस विषय में पक्ष को इसी तरह पक्ष लाने किया जाता है। निर्दिष्ट मांग पर अदालत द्वारा गठित पञ्जाबी केवल शुभकर होकर गठित है। यह तब तक वाद शर्तित आदेश है।</p>

1.
2.
3.

उपस्थापक अधिकारी
 उमर पक्ष